कार्यालय नगर विकास न्यास, बीकानेर

क्रमांक :– न्यास/डी.टी.पी शाखा/2017/21355 दिनांक :– 17/11/17

श्री कृष्ण चन्द मोदी पुत्र श्री मांगीलाल मोदी,
निवासी– 8–ए 01 जयनारायण व्यास कॉलोनी,
बीकानेर।

विषय :– ग्राम किश्मीदेसर के खसरा नं. 587/1 का ले–आऊट मानचित्र योजना का स्वीकृत करने के संबंध में।

प्रसंग :– आपका आवेदन पत्र दिनांक 13.02.2014 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि ग्राम किश्मीदेसर के खसरा नं. 587/1 में स्थित 01.03 हैक्टर भूमि में मधुवन वाटिका योजना फेज–I के ले–आऊट वरिष्ठ नगर नियोजना बीकानेर के पत्र कमांक बीकेजेड/2522:10/बीकानेर/779 दिनांक 16.05.2014 में वर्णित शर्तो के अन्तर्गत एम्पावर्ड कमेटी के द्वारा दिनांक 25.09.2017 को स्वीकृत किया जा चुका है। उपरोक्त आवासीय योजना की रुपान्तरण राशि 07,26,101/– जरिये चालान नं. 23123 दिनांक 10.11.2017 व चालान नं. 51 दिनांक 10.11.2017 एवं लीजमनी, बाह्य विकास शुल्क की चार किश्तों में प्रथम किश्त की राशि 09,67,281/– जरिये चालान नं. 20173 दिनांक 10.11.2017 कुल राशि 16,93,382/– न्यास कोष में जमा हो चुके है। उक्त ले–आऊट मानचित्र की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. योजना धारक द्वारा दिये गये क्षतिपूर्ति बंधक पत्र अनुसार इस ले–आऊट मानचित्र योजना के आन्तरिक विकास का कार्य गुणवता के अनुसार योजना धारक द्वारा स्वंय करवाया जावेगा।
2. राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 26.06.2010 (राजस्थान टाऊनशिप योजना 2010) तथा दिनांक 31.05.2012 में उल्लेखित शर्तो एवं समय–समय पर होने वाले राज्य आदेशों की पालना हेतु बाध्य रहेगा तथा ले–आऊट मानचित्र में लाल रंग से दर्शाये गये 05 आवासीय भूखण्डों की बाउण्ड्री के भूखण्ड न्यास में रहन रहेंगे उक्त भूखण्डों को योजना के आन्तरिक विकास कार्य सम्पूर्ण करवाने व बाहरी विकास राशि जमा होने पर नियमानुसार भूखण्डों को रहन मुक्त किये जाने के उपरान्त योजना धारक विकय कर सकेगा।
3. स्वीकृत ले–आऊट मानचित्र में जो क्षेत्र सुविधा क्षेत्र (सड़क, खुली भूमि, स्कूल, अस्पताल, पार्क आदि) पर न्यास का स्वामित्व रहेगा।

संलग्न–ले–आऊट मानचित्र

(आर.के. जायसवाल IAS)
सचिव
नगर विकास न्यास
बीकानेर

D:\DTP-sec\Bhanwar singh ji 90A & 90B letter\letter.docx193